क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 306/NGT-350/2022/N-8/G/2022-23 दिनांक– 29.6.2022

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench, Faridkot House,
Copernicus Marg, Near India Gate,
New Delhi-110001

Sub.:-Regarding submission of compliance report of Hon'ble NGT, New Delhi order dated 19-05-2022 in O.A.No.-350/2022 Mahesh Kumar v/s State of Uttar Pradesh.

Sir,

Kindly refer above mentioned subject. In compliance of order dated 19-05-2022 the compliance report along with relevant enclosures are enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action please.

Enclosures:-As above.

Sincerely Yours'

(Pradeep Kumar Vishwakarma) 29/06/22
Regional Officer

Copy to:-For information and necessary action please.

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
2- District Magistrate, District-Raebareli.
3- Chief Environmental Officer (Circle-5), U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
5- Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida District-Gautam Buddha Nagar, 201301

Regional Officer

मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड, ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, भोजपुर, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–19.05.2022 को पारित आदेश के सन्दर्भ में आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक–19.05.2022 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है–

"……………..Narayan Brick kiln is being run by Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee in adjoing village Korba Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh in violation of environmental norms, rules and regulations damaging the environment and posing health hazards to the inhabitants. Location of the brick kiln is violative of siting criterion as Harkishnu Khera and Korba villages having population of more than 300 persons are situated nearby besides Ram Ganga School in its premises, primary school and ANM Centre at the distance of 2001 meters, orchard having minimum 100 fruit bearing trees within 800 meters and PWD Road within 100 meters. Three meter wall has not been constructed to prevent spreading of dust and mining of top soil from agricultural fields upto the depth of more than 3 meters has been done converting the same into pond.

On due consideration of the matter, we are of the view that the allegations made in the present letter require due verification and immediate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee of the State PCB and District Magistrate, Rae Bareli and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report particularly in terms of meeting siting criteria, compliance with consent conditions and Guidelines issued by the MOEF & CC dated 22.02.2022 may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

1. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रायबरेली द्वारा पत्र संख्या–233/एन–8/जी/2022–23 दिनांक–09.06.2022 के माध्यम से मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड (प्रोपराईटर आकाश बाजपेयी) ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, वि0खं0–सरेनी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली की संयुक्त जांच हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

   1– श्री सुभाष यादव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, रायबरेली।

   2–तहसीलदार, तह0–लालगंज, रायबरेली।

   3–जिला खान अधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, रायबरेली।

   4–क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, रायबरेली।

2. उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईंट भट्ठे मैसर्स नारायण ब्रिक फील्ड (प्रोपराईटर आकाश बाजपेयी) ग्राम–कोरवा, पो0–बिठूली, वि0खं0–सरेनी, तह0–लालगंज, जनपद–रायबरेली का संयुक्त निरीक्षण दिनांक–18.06.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश कुमार, चौकीदार उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

(i) सन्दर्भित ईंट उद्योग रायबरेली शहर से लगभग 32 किमी0 दूर स्थित लालगंज से सरांयबैरिहा खेड़ा होते हुए भोजपुर रोड पर लगभग 24 किमी0 जाने के पश्चात ग्राम कोरवा में स्थापित है। ईंट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.132755, 80.779456 है।

(ii) ईंट भट्ठे की स्थापना वर्ष क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार वर्ष 1998–99 है। ईंट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय से प्रथम बार सहमति वर्ष 2010 में 02.08.2010 से 31.12.2014 तक की अवधि हेतु तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप निर्गत किया गया था। ईंट भट्ठे की स्थापित क्षमता 21 पाया लगभग 25000 ईंट/दिन उत्पादन की है। ईंट भट्ठे में गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 110 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध ट्रेन्च में ईंट भरी हुयी तथा ईंट भट्ठे के परिसर में पक्की ईंटें भी भण्डारित पायी गयी।

(iii) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिए गए बिन्दुओं की जांच के क्रम में ईंट भट्ठा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय कोरवा का भवन तथा लगभग 250 मीटर की दूरी पर ए0एन0एम0 सेन्टर भवन, उत्तर दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर ग्राम हरकिशुन खेड़ा की आबादी दृष्टिगोचर हुई। उक्त दिशा में ही ग्राम पूरे पाण्डे–भोजपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। पूरब दिशा में लगभग 50 मीटर की दूरी पर रामगंगा महाविद्यालय का नवीन भवन का निर्माण किया गया है तथा उसी दिशा में ग्राम रानी खेड़ा लगभग 1.0 किमी0 की दूरी पर, पश्चिम दिशा में ग्राम भोजपुर लगभग 2.0 किमी0, दक्षिण दिशा में ग्राम विशायक पुर लगभग 1.0 किमी0 की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा में हरितालिका आई0टी0आई0 लगभग 600 मीटर पर स्थित पाया गया। ईंट भट्ठा के उत्तर दिशा में सड़क के दूसरी तरफ लगभग 30 आम, कटहल, सागौन, नीम आदि प्रजातियों के अन्य वृक्ष लगे हुए पाए गए। पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर कटहल आदि वृक्षों का मिश्रित बगीचा पाया गया। ईंट भट्ठे के आस–पास के कुछ भूखण्डों में लगभग 02 मीटर तक की मिट्टी खुदी हुई पायी गयी।

(iv) वर्तमान में सन्दर्भित ईंट भट्ठे को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र संख्या–एच63463/सी–5/सा0–546/21/ईंट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक–15.07.2021 के माध्यम से ईंट भट्ठे को बन्दी आदेश निर्गत है। जो अद्यतन प्रभावी है। बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने के क्रम में ईंट भट्ठे का उप जिलाधिकारी, तह0–लालगंज, रायबरेली के आदेश पर संयुक्त निरीक्षण दिनांक–28.05.2022 के दौरान भी ईंट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। माननीय अधिकरण द्वारा

mas ३७

पारित आदेश दिनांक–19.05.2022 के अनुपालन में गठित समिति की जांच दिनांक–18.06.2022 को भी ईट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया।

(v) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिए गए बिन्दुओं में Siting Criteria के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ईंट भट्ठे की स्थापना क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1998–99 में की गयी थी। तत्समय जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप ईंट भट्ठे की स्थापना किया जाना प्राविधानित था। जिसके अनुसार किसी ईंट उद्योग की स्थापना आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय, ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने वाले स्थल आदि से 200 मीटर की दूरी के अन्दर नहीं किया जायेगा। ईंट भट्ठे पर वर्तमान में प्रभावी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 प्रभावी नहीं है। प्रश्नगत ईंट भट्ठा को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से पूर्व मे 31.12.2014 तक की अवधि हेतु ही सहमति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ईंट भट्ठे द्वारा सहमति प्राप्त नहीं किया गया न ही ईंट भट्ठे के संचालन अथवा बन्दी की सूचना इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी। वर्तमान में ईंट भट्ठा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के बन्दी आदेश के अनुपालन में बन्द है। ईंट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या–247/I-1/G/R/2022-23 दिनांक–16.06.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में नहीं करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।

उपरोक्तानुसार संयुक्त कमेटी की जांच आख्या माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

28/6/2022	28/06/22	28/06/22	28.6.2022
(मो0 असलम सिद्दीकी)	(मनीष यादव)	(ज्ञान प्रकाश सिंह)	(सुभाष चन्द्र यादव)
अनुश्रवण सहायक	जिला खान अधिकारी	(तहसीलदार)	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली	रायबरेली	तह0–लालगंज	जनपद–रायबरेली

कार्यालय जिलाधिकारी, रायबरेली।

संख्या– 233/N-8/6/2022-23 दिनांक– 09/6/22

–आदेश–

मै0 नारायण ब्रिक फील्ड (प्रोपराईटर आकाश बाजपेई), ग्राम कोरबा, ब्लाक–सरैनी, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली के विरूद्ध वायु प्रदूषण संबंधी प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–350/2022 महेश कुमार बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2025 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"………Narayan Brick kiln is being run by Akash Bajpayee son of Santosh Bojpayee in adjoing village Korba Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Barell, Uttar Pradesh in violation of environmental norms, rules and regulations damaging the environment and posing health hazards to the inhabitants. Location of the brick kiln is violative of siting criterion as Harkishnu Khera and Korba villages having population of more than 300 persons are situated nearby besides Ram Ganga School in its premises, primary school and ANM Centre at the distance of 200 meters, archard having minimum 100 fruit bearing trees within 800 meters and PWD Road within 100 meters. Three meter wall has not been constructed to prevent spreading of dust and mining of top soll from agricultural fields upto the depth of more than 3 meters has been done converting the same into pond.

2. On due consideration of the matter, we are of the view that the allegations made in the present letter require due verification and immediate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee of the Stote PCB and District Magistrate, Rae Barell and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of low. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance......."

तत्क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 19.05.2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, रायबरेली के निर्देशानुसार उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों की जॉच कराए जाने हेतु समिति का गठन किया गया जो निम्नवत् हैः–

1. श्री सुभाष यादव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट।
2. तहसीलदार, लालगंज।
3. जिला खान अधिकारी/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।

उपरोक्तानुसार गठित जॉच समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार ईंट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या एक सप्ताह में अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि कृत कार्यवाही से माननीय न्यायालय को ससमय अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

(अमित कुमार)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
रायबरेली।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री सुभाष यादव, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
2. तहसीलदार, लालगंज, रायबरेली।
3. जिला खान अधिकारी, रायबरेली।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

09.06.2022

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
रायबरेली।

By Email
24/05/22

Item No.6 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPALBENCH

(By Video Conferencing)

Original Application No.350/2022

Mahesh Kumar Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 19.05.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Application is registered based on a complaint received by Post.

ORDER

1. The grievance made in the present letter petition sent by Mr. Mahesh Kumar resident of village Bhojpur, Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh is that Narayan Brick kiln is being run by Akash Bajpayee son of Santosh Bajpayee in adjoing village Korba Block and Police Station Sareni Tehsil Lalganj, District Rae Bareli, Uttar Pradesh in violation of environmental norms, rules and regulations damaging the environment and posing health hazards to the inhabitants. Location of the brick kiln is violative of siting criterion as Harkishnu Khera and Korba villages having population of more than 300 persons are situated nearby besides Ram Ganga School in its premises, primary school and ANM Centre at the distance of 200 meters, orchard having minimum 100 fruit bearing trees within 800 meters and PWD Road within 100 meters. Three meter wall has not been constructed to prevent spreading of dust and mining of top soil from agricultural fields upto the depth of more than 3 meters has been done converting the same into pond.

2. On due consideration of the matter, we are of the view that the allegations made in the present letter require due verification and immediate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee of the State PCB and District Magistrate, Rae Bareli and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report particularly in terms of meeting siting criteria, compliance with consent conditions and Guidelines issued by the MoEF & CC dated 22.02.2022 may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for further consideration on 16.08.2022.

A copy of this order, along with a copy of the complaint, be forwarded to the State PCB and District Magistrate, Rae Bareli by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

May 19, 2022
Original ApplicationNo.350/2022
AG

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63463/सी–5/सा0–546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 ***Date 15.07.2021***

<u>पंजीकृत</u>

Narayan Brick Field,
Vill. Korwa, Bithouli, Bhojpur, Tehsil Lalganj, Raebareli.

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रायबरेली की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.— (1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रायबरेली में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: <u>www.uppcb.com</u>

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

ईट भट्ठे की बन्दी अनुपालन आख्या

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश सं0–H63463/सी-5/सा0-546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/रायबरेली/2021 दिनांक 15/7/2021 के अनुपालन में ईंट भट्ठे मै0 नारायण ब्रिक फील्ड ग्राम कोरवा, बिठूली, रायबरेली .... के संचालन को अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में आज दिनांक 20/5/2022 ....को बन्द कराया जाता है। बन्द पाया गया।

H/C [signature] [signature] 20/5/2022 [signature] 20/5/22 AC/MO.

मेरे द्वारा भट्ठा बंद किया जा चुका है
कृष्ण मोहन वाजपेयी
20/05/22
9918311577

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी–ब्लाक, आवास विकास कालोनी, इन्दिरा नगर
जेल रोड, रायबरेली – 229001

पंजीकृत

दिनांक 13.9.10

संदर्भ संख्या 819/N-42/R/वायु प्रदूषण/10-11

सेवा में,
मे0 नारायण [illegible] फीड
ग्राम कोरवा बिठोली, [illegible] रायबरेली
रायबरेली

विषय :– वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या .... सहमति (वायु) आवेश/ ...[illegible]... दिनांक 02.8.10 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक [illegible] जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

1– सहमति में दिये गये शर्तो एवं नीचे दिये गयें विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय का अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2– – .... के0बी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से – .... मी0 ऊँचा किया जाय।

3– फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के [illegible] माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4– वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर .... का प्राविधान, संचालन एवं रख–रखाव इस प्रकार किया जायें, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5– इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले – आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6– आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

7– उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8– यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

9– आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति – वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।

10– ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

11– आप को उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

12– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 325 दिनांक 22 मई 1998 के अनुपालन में ईटों के बनाने में प्रयुक्त मृदा में न्यूनतम 25 प्रतिशत तापीय विद्युत संयंत्र की राख का प्रयोग मिश्रण के रूप में भार दर के बराबर किया जायें।

13. फ्लाई ऐश के उपयोगार्थ उद्यमी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. उद्योग का स्थापना स्थल जिला परिषद द्वारा प्रख्यापित मार्गदर्शिका के अनुरूप है।

15. जिला उद्यान अधिकारी से बाग के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें कि ईट भट्ठा स्थल से पूरब एवम् पश्चिम की दिशा में 1.5 किमी0 व उत्तर एवम् दक्षिण की दिशा में 300 मीटर की दूरी पर कोई आम की 2.5 ऐकड़ की बाग एवम् नर्सरी स्थित नहीं है।

16 आबादी के सम्बन्ध मे शिकायत प्राप्त होने एवम् उसकी एवम् उसकी पुष्टी होने की दशा में सहमति वायु आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या................................../वायु प्रदूषण/ ....तद् दिनांक..........................

प्रतिलिपि : सदस्य सचिव/ मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त – 6 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र ....।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी – ब्लाक, इन्दिरा नगर (आवास विकास)

रायबरेली – 229001

सहमति आदेश पत्र

संख्या 71 / सहमति (वायु) आदेश 10-11 रायबरेली, दिनांक 18.9.10

विषय : सहमति में0 नारायण फिश फीड्स, कोरवा बिठोली, रायबरेली

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 / 22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :– आवेदन संख्या शून्य दिनांक शून्य

1– वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मे0 नारायण फिश फीड्स, कोरवा, बिठोली, रायबरेली को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2 – यह सहमति दिनांक 02-08-2010 से 31-12-2014 तक अवधि तक मान्य होगी। (इकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक)

3– इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

अनुलग्नक :– संलग्नक

(सहमति शर्तें)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी – ब्लाक, इन्दिरा नगर (आवास विकास)

रायबरेली – 229001

संलग्नक सहमति आदेश संख्या ..../ सहमति (वायु) आदेश/ ....

दिनांक ....

सहमति शर्तें

1 – फ्लू गैस की प्रति घंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिए गए चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नही होना चाहिए।

(अ) ईंट भट्ठे से सम्बद्ध चिमनी
(ब) ....
(स) ....
(द) ....
(य) ....

2 – वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(अ) सस्पेन्डेड पार्टीकुलेट मैटर — मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिक मीटर
(ब) मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि) ....
(स) हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड, सल्फेट मिस्ट ....
(द) सल्फर डाई आक्साइड — पी.पी. एम.
(य) कार्बन मोनोआक्साइड ....
(र) हाईड्रोजन ....
(ल) अमोनिया ....
(व) क्लोरीन ....
(श) मरकैप्टेन ....
(ष) ....

बोर्ड मानकों के अनुरूप

3 – समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4– बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन प्रयोग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।

5– बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

6 – बिन्दु 4, 5, एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जायें।

7 – इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी / स्टैक का प्रांविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाय।

8 – सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाय।

9 (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के ....एक.... माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई मे उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।

10 – किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा – 29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड औश्र अन्य संस्थानों पर संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

11 – इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

12 – इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नही होना चाहिए।

13 – इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त अथवा किसी अन्य 'आउट लेट'' से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14 – इकाई से आबादी, कृषि उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15 – आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वालें समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिकप्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16 – उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।

17 – आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैघता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी को कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उतर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।

18 – बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।

19 – आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सभी सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।

20 – इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21 – इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

2022.06.28